संख्या—267/आपदा प्रबन्धन/2004

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 12 मार्च, 2004

विषयः—जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु वर्ष 2003—04 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1091/13—8(2) दिनांक 20.1.2004, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 2.00 लाख के आगणन के विपरीत तकनीकी परीक्षण के उपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार 1 कार्ययोजना हेतु संलग्न विवरणानुसार रू0 1,89,000/— (रू0 एक लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2— स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगीः—

1— आगणन में उल्लिखित दरो का विश्लेषण को सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य की जाय।

2— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/ विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो का सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3— कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4— कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनो में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमैन्ट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0 अभि0 स्वयं करें।

5— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय इस का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6— स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। संलग्न सूची मे भी यदि कोई कार्य नया हो उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जायेगा, और इसके लिये स्वीकृत धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

7— कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नही की गयी है, यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये।

8— दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

09-03-2004

3— स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि संलग्नक में निर्दिष्ट कार्यों एवं प्रयोजनों हेतु व्यय की जायेगी, अन्य कार्यों में व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि का गलत उपयोग न किया जाय, गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का ही पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। मद परिवर्तन करने का अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। यदि इंगित योजनाओं पर धनराशि किन्ही परिस्थितियों में व्यय नहीं हो सकती है, तो धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जायेंगे।

4— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2004 तक उपयोग कर लिया जायेगा और कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए अवशेष बची धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दी जायेगी।

5— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

6— उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टैण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

7— कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सकें।

8— यदि सड़क की पुर्नस्थापना का कार्य किसी विभागीय बजट से करा लिया गया है तो उक्त कार्य के लिये निधि से स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा और धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

9— स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या— 372(9)/आ0प्र0/2003 दिनांक 20.9.2003 के द्वारा किये गये जनपदवार एलोकेशन द्वारा स्वीकृत रू0 3.25 करोड़ की धनराशि में से ही स्वीकृत की गई है।

10— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003—04 के आय—व्ययक अनुदान संख्या— 6 के अतर्गत लेखाशीर्षक 2245 — प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत —05 आपदा राहत निधि—आयोजनागत 800— अन्य व्यय —01— केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें —01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय— 42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या— 3079/वि0 अनु0—3/2003, दिनांक 5 मार्च, 2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजकुमार सिंह)
अपर सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री।
3. श्री एल.एम.पन्त, अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4. डॉ. राकेश गोयल, राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. वित्त अनु.— 3, उत्तरांचल शासन।
7. धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
09.03.2004
(राजकुमार सिंह)
अपर सचिव